प्रतिलिपि

न्यायालय उपजिलाधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर

वाद संख्या-33/2013
चन्द्रमौली एजूकेशनल बेलफेयर सोसाइटी जरिये प्रबंधक विशाल शाही उर्फ विशाल चन्द्र शाही
बनाम
सरकार

अर्न्तगत धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम
बावत मौजा--रूद्रापुर
तप्पा-- पतरा, परगना--हवेली तहसील चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद दिनांक 01.05.2013 दाखिल कर चन्द्रमौली एजूकेशनल बेलफेयर सोसाइटी जरिये प्रबंधक विशाल शाही उर्फ विशालचन्द्र शाही पुत्र मदन शाही उर्फ चन्द्रविजय शाही निवासी--शाही निवास कसया रोड पैड़लेगंज गोरखपुर द्वारा सरकार को प्रतिवादी नियुक्त करते हुए मौजा--रूद्रापुर तप्पा--पतरा, परगना--हवेली, तहसील--चौरीचौरा, जनपद--गोरखपुर मे स्थित अपने भूमिधरी गाटा संख्या 638,660/2,62एकड़ आपस में सटे भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण एवं विद्यालय भवन बन जाने के कारण उसे अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त करने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार चौरीचौरा से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा जाचोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 11.06.2013 प्रेषित किया गया है जिसमे यह उल्लेख है किया गया है कि उक्त भूमि का स्थलीय सत्यापन किया गया, जिसमे यह बताया गया कि आराजी सं0 660/2.62एकड वादी की भूमिधरी की आराजी है, जिसमे मौके पर भवन बना हुआ हैं। उक्त आराजियात मौके पर आबादी हो चुकी हैं। कृषिक उपयोग न होने के कारण अकृषिक रुप मे प्रयोग किया जा रहा हैं। इसलिए उसे अकृषिक घोषित करने की संस्तुति किया है।

मैने पत्रावली एवं उसपर प्रस्तुत नियत प्रारुप 135 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम पर तहसीलदार की जॉच आख्या दिनांक 11.06.2013 व खतौनी ग्राम रूद्रापुर व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक 19.11.2007 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता हैं कि वर्तमान समय में उक्त भूमि पर भवन बना हुआ है, जो अकृषिक रुप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार चौरीचौरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.06..2013 स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार चौरीचौरा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 11.06.2013 स्वीकार किया जाता है। ग्राम--रूद्रापुर तप्पा-- पतरा, परगना-- हवेली, तहसील--चौरीचौरा, जनपद--गोरखपुर के गाटा संख्या 660/2.62एकड़ भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक धोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबंधक चौरीचौरा को प्रेषित की जाय। तदनुसार परवाना जारी हो। वाद बाद दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 11-6-2013

(मोतीलाल सिंह)
उपजिलाधिकारी चौरीचौरा
गोरखपुर।

प्रमाणित
21/6/13
उप जिलाधिकारी
चौरी चौरा, गोरखपुर

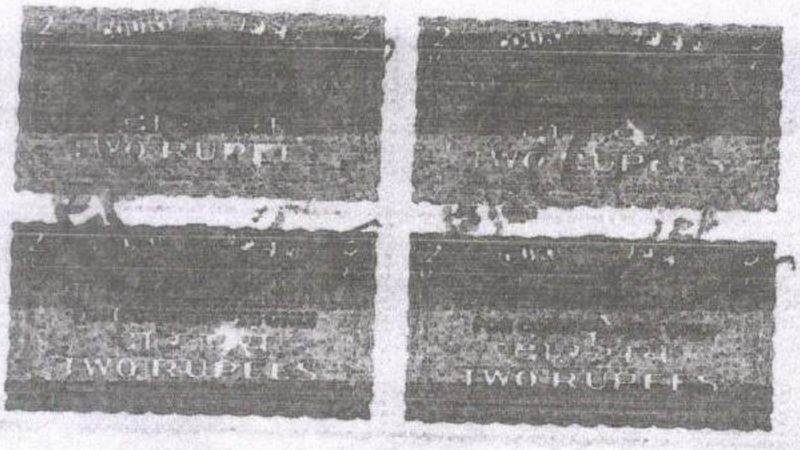

20/6/13
2-6-13

न्यायालय उपजिलाधिकारी [illegible]

[illegible]

वादसंख्या 33/2012

~~[illegible]~~

कैलाश देवी आदि प्रार्थक

[illegible]

बनाम

सरकार

कार्यवाही धारा 145 [illegible]

[illegible]

[illegible]

निर्णय दिनांक 11-6-13 [illegible]

[illegible]